[illegible] मुकदमा पर।
[illegible] आदेशानुसार दिनांक 18/1/18 को बहस हेतु
पेश हो।
गणेश शर्मा
रीडर
राजस्व अपील अधिकारी
कोटा

18/1/18 वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु दिनांक 24/1/18 को पेश हो।

(पंकज कुमार औझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

24/1/18 पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु पेश हुई। अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बाद निर्णय फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कटे।

(पंकज कुमार औझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 17/187

श्रीमती सीताबाई पत्नी श्री बाबूलाल आयु करीब 42 वर्ष जाति माली निवासी रामगंज तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीलाल नागर आयु करीब 60 वर्ष आत्मज श्री कंवरा जाति धाकड मालिक राधिका होटल निवासी राधिका होटल के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 रामगंज के पास माल दौलाडा ग्राम तहसील व जिला बून्दी ।
2. श्रीमती सीता बाई पत्नी श्री बद्रीलाल नागर आयु करीब 55 वर्ष जाति धाकड निवासी राधिका होटल के सामने, एन0 एच0 52 रामगंज के पास दौलाडा ग्राम रामगंज तहसील व जिला बून्दी ।
3. महावीर आत्मज श्री बद्रीलाल नागर आयु 37 वर्ष जाति धाकड निवासी राधिका होटल के सामने, एन0 एच0 52 रामगंज के पास दौलाडा ग्राम रामगंज तहसील व जिला बून्दी ।
4. उमाशंकर आत्मज श्री बद्रीलाल नागर आयु 35 वर्ष जाति धाकड निवासी राधिका होटल के सामने, एन0 एच0 52 रामगंज के पास दौलाडा ग्राम रामगंज तहसील व जिला बून्दी ।
5. नीमचन्द आत्मज जगदीश जी माली आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी राधिका होटल के सामने, एन0 एच0 52 रामगंज के पास दौलाडा ग्राम रामगंज तहसील व जिला बून्दी ।
6. महावीर आत्मज श्री छोटूलाल आयु 25 वर्ष जाति भील (बद्रीलाल नागर का हाली) निवासी तूतवाला कुआ, राधिका होटल के सामने, एन0 एच0 52 रामगंज के पास दौलाडा ग्राम रामगंज तहसील व जिला बून्दी ।
7. छोटू लाल आत्मज नामालूम आयु 45 वर्ष जाति भील (बद्रीलाल नागर का हाली) निवासी तूतवाला कुआ, राधिका होटल के सामने, एन0 एच0 52 रामगंज के पास दौलाडा ग्राम रामगंज तहसील व जिला बून्दी ।
8. बद्रीलाल मेघवाल आत्मज श्री गंगोल जी उर्फ गंगाराम आयु 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम इटोडा तहसील व जिला बून्दी ।
9. बद्रीलाल आत्मज लटूर आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी सरस्वती का खेडा तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बृजराज शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्याम लाल नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 24.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 के विरुद्ध पेश की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिनी के स्वयं के खातें व कब्जे की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 831/716 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम रामगंज तहसील व जिला बून्दी में स्थित है । नक्शा ट्रेस में में उक्त भूमि ग्राम नयागॉव उर्फ रामगंज खसरा नम्बर 716/286/1 अंकित किया हुआ है। उक्त भूमि पर प्रार्थिनी करीब 10 वर्षों से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे हैं और प्रार्थिनी की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि में जबरन अतिक्रमण कर कॉलोनी काटना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिनी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थिनी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इा आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे दौराने वाद प्रार्थिनी की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 831/716 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा जो नक्शा ट्रेस में 716/286/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम रामगंज उर्फ नयागॉव तहसील व जिला बून्दी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे न ही उक्त कृत्य किसी अन्य से करावें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को स्वीकार करते हुए प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.03.2017 के द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 से व्यथित होकर प्रार्थिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 के प्रावधानों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि अपीलान्ट प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी की खातेदार कृषक है तथा उक्त आराजी पर वैधानिक ढंग से काबिज काश्त है । वर्तमान में गेहूँ की फसल बोई हुई है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि में रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी की गई प्लाट काटने की प्लानिंग की प्रति पेश की है जिससे प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्वीकार किया है कि पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद है तथा सीमाज्ञान होना भी स्वीकार किया है किन्तु फिर भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की । प्रार्थीया अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस इत्यादि द्वारा प्रथमदृष्टया प्रकरण अपने पक्ष में होना साबित कर दिया था । यदि रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थीया अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत तरीके से कॉलोनी काट दी तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिनी के स्वयं के खातें व कब्जे की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 831/716 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम रामगंज तहसील व जिला बून्दी में स्थित है । नक्शा ट्रेस में में उक्त भूमि ग्राम नयागॉव उर्फ रामगंज खसरा नम्बर 716/286/1 अंकित किया हुआ है। उक्त भूमि पर प्रार्थिनी करीब 10 वर्षो से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । अप्रार्थीगण अवैधानिक रूप से कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे हैं और प्रार्थिनी की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि में जबरन अतिक्रमण कर कॉलोनी काटना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिनी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थिनी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इा आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे दौराने वाद प्रार्थिनी की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 831/716 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा जो नक्शा ट्रेस में 716/286/1 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम रामगंज उर्फ नयागॉव तहसील व जिला बून्दी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे न ही उक्त कृत्य किसी अन्य से करावें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को स्वीकार करते हुए प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.03.2017 के द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 से व्यथित होकर प्रार्थिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 के प्रावधानों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि अपीलान्ट प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी की खातेदार कृषक है तथा उक्त आराजी पर वैधानिक ढंग से काबिज काश्त है । वर्तमान में गेहूँ की फसल बोई हुई है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि में रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी की गई प्लाट काटने की प्लानिंग की प्रति पेश की है जिससे प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्वीकार किया है कि पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद है तथा सीमाज्ञान होना भी स्वीकार किया है किन्तु फिर भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की । प्रार्थीया अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस इत्यादि द्वारा प्रथमदृष्टया प्रकरण अपने पक्ष में होना साबित कर दिया था । यदि रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थीया अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत तरीके से कॉलोनी काट दी तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 20.03.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थिया अपीलान्ट के कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमि पर अपीलान्ट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त कानूनी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । पक्षकारान के मध्य खेत की सीमा को लेकर विवाद है तथा इसी विवाद को लकर पक्षकरान द्वारा पुलिस कार्यवाही की गई थी जिसमें पुलिस द्वारा एफ0आर0 लग चुकी है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी आराजी का सीमांज्ञान करवाकर उस पर मेड के सहारे तारबन्दी की हुई है जिससे साबित है कि पक्षकारान की खेत की समी तारबन्दी से पृथक–पृथक हो रखी है । रेस्पोडेन्ट अपने खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त हैं और उन्होंने अपने खातेदारी की भूमि पर तारबन्दी करवा रखी है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हों । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एंव पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित है कि आराजी खसरा नम्बर 831/716 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दोनों का अवलोकन करने पर साबित है कि रेस्पोडेन्ट ने अपने खातेदारी की भूमि पर तारबन्दी करवा रखी है जिससे साबित है कि पक्षकारान की भूमि तारबन्दी से पृथक–पृथक हो रखी है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि पर किस प्रकार से मदाखलत व मजाहमत की जा रही यह किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज से साबित नहीं किया है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर केवल हमे इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थिया अपीलान्ट ने यह साबित नहीं किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उसके खातेदारी की भूमि पर किस प्रकार से मदाखलत व मजाहमत की जा रही है। अपीलान्ट द्वारा अपना प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में होना साबित नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उसके पक्ष में होना साबित है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

....

....